संख्या-1489/33-3-2019-64/2018 टी.सी.

प्रेषक,

सोबरन सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक-28 जुलाई 2019

विषयः- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-1359/14-5-2018-187/2017, दिनांक-06.10.2018 तथा शासनादेश संख्या-272/14-5-2019-03/2019, दिनांक-16.05.2019 के क्रम में वर्ष 2019-20 में 22.00 करोड़ पौधरोपण के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश राज्य वन नीति-2017 के प्रस्तर-2, 4 में हरित आवरण में वृद्धि हेतु वृक्षारोपण को बढ़ावा देने तथा व्यापक स्तर पर जन सामान्य विशेषकर महिलाओं, विद्यार्थियों, कृषकों, दिव्यांगों, दृष्टिबाधित, पूर्व सैनिकों समाज के अल्प आय वाले व्यक्तियों एवं वनों के समीप रहने वाले ग्रामवासियों के सहयोग से वानिकी को जन आन्दोलन बनाये जाने का प्रावधान है।

2- मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश द्वारा की गयी अपेक्षा के क्रम में प्रदेश स्तर पर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के संदर्भित शासनादेशों (संलग्नक-1 व संलग्नक-2) द्वारा वर्ष-2019-20 में वृक्षारोपण हेतु पंचायतीराज विभाग हेतु 1.00 करोड़ पौध रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। (संलग्नक-3)

3- वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 में वृक्षारोपण लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समेकित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिये ग्राम पंचायत स्तर पर तथा शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निकाय स्तर पर माइक्रोप्लान तैयार किया गया है।

4- इस सम्बन्ध में पंचायतीराज विभाग द्वारा वृक्षारोपण लक्ष्यों की निर्धारित समय सारणी के अनुसार शत-प्रतिशत प्राप्ति हेतु निम्न कार्यवाहियां सुनिश्चित की जानी हैः-

4.1- 1.00 करोड़ पौध रोपण हेतु विभाग के पास उपलब्ध भूमि का चयन कर लिया जाय तथा शासनादेश संख्या-272/14-5-2019-03/2019, दिनांक-16.05.2019 के अनुसार वन विभाग द्वारा तैयार किए जा रहे माइक्रोप्लान में इसे सम्मिलित करा लिया जाय।

4.2- उपरोक्त प्रस्तर-4.1 के अनुसार विभाग के लिए चिन्हित भूमि पर स्वयं के वृक्षारोपण हेतु धनराशि उपलब्ध होने की दशा में विभागीय भूमि पर स्वयं तथा धनराशि न उपलब्ध होने की दशा में शासनादेश संख्या-272/14-5-2019-03/2019, दिनांक-16.05.2019 के अनुसार ग्राम पंचायत को मनरेगा श्रम बजट से वृक्षारोपण कार्य करने दिया जाय। इस प्रकार किया गया वृक्षारोपण पंचायतीराज विभाग के लक्ष्यों के सापेक्ष ही माना जायेगा।

4.3- वृक्षारोपण हेतु पौध वन एवं वन्य जीव विभाग की पौधशालाओं से प्राप्त की जायेगी।

Amit Sri.

4.4– शासनादेश संख्या–272/14–5–2019–03/2019, दिनांक–16.05.2019 में उल्लिखित समय सीमा के अन्तर्गत वृक्षारोपण पूर्ण कराने के साथ–साथ रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव हेतु मनरेगा के अन्तर्गत श्रमिकों का रोस्टरवार दायित्व निर्धारित किया जाय जिससे कि रोपणोपरान्त पौधों की जीवितता सुनिश्चित किया जा सके।

4.5– शासनादेश संख्या–272/14–5–2019–03/2019, दिनांक–16.05.2019 के प्रस्तर–14 के अनुसार वन एवं वन्य जीव विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्य में वृक्षारोपण से जुड़े विभागीय कार्मिकों की सहभागिता सुनिश्चत कराने का कष्ट करें।

4.6– वृक्षारोपण कार्यों की प्रगति रिपोर्ट सचिव जिला वृक्षारोपण समिति/प्रभागीय वनाधिकारी को उपलब्ध करायी जाय।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई पूर्वक अनुपालन करते हुए आवंटित विभागीय वृक्षारोपण लक्ष्यों की शत–प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(सोबरन सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांकः– तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन, उ0प्र0 शासन।
2– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, उ0प्र0।
5– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
6– समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत), उत्तर प्रदेश।
7– उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ, उ0प्र0।
8– समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जय शंकर राय)
उप सचिव।

Amit Sri.

1489/33-3-19

प्रेषक,

निदेशक,
पंचायतीराज,
उ0प्र0।

सेवा में,

श्री जय शंकर राय
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

पत्रांक–8/2355/XX/एफ0एफ0सी0/201–20 लखनऊ दिनांक–27 जून, 2019

विषयः– वित्तीय वर्ष 2019–20 में 22 करोड़ पौधरोपण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1339/33–3–2019–64/2018 टी0सी0, दिनांक–17.06.2019 का संदर्भ ग्रहण करे। उक्त पत्र के साथ प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन अनुभाग–5, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–426/14–4–2019–03/2019, दिनांक–31.05.2019 की संलग्नक सहित प्रेषित करते हुए वर्ष 2019–20 में 22 करोड़ पौधरोपण के सम्बन्ध में शासन स्तर पर निर्गत होने वाले शासनादेश का परीक्षण करते हुए प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 में वृक्षारोपण हेतु पंचायतीराज विभाग, को निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कृत कार्यवाही हेतु निर्गत किये जाने वाले शासनादेश के परीक्षोपरान्त प्रस्ताव निम्नवत् हैः–

1. शासनादेश के बिन्दु संख्या 4.3 में उल्लिखित समयावधि समाप्त हो चुकी है। अतः शासनादेश से बिन्दु 4.3 हटाया जाना उचित होगा।
2. शासनादेश के बिन्दु 4.5 में रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव हेतु मनरेगा के अन्तर्गत श्रमिकों को रोस्टर वार दायित्व निर्धारित किया जाना उचित होगा जिससे कि रोपण उपरान्त पोधों की जीवित दर सुनिश्चित किया जा सके।

आख्या/प्रस्ताव शासन को उपयोगार्थ प्रेषित है।

28.06.19

भवदीय,

(मासूम अली सरवर)
निदेशक,
पंचायतीराज, उ0प्र0।